न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 457/23 (धारा 75 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2023/485)

श्रीमती मनोकामना विजय पत्नी श्री बाबूलाल विजय जाति महाजन आयु 56 वर्ष निवासी बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1. उपजिला कलक्टर खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर खण्डार दिनांक 27.06.2022

उपस्थितिः–

श्री हरिमोहन जाट वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 10.09.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.06.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी खण्डार के समक्ष विवांदित भूमि खसरा नंबर 127/785 जिसका नवीन खसरा नंबर 1052/127 है0 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी ग्राम बालेर तहसील खण्डार पर अपीलान्ट का निरंतर कब्जा होने के आधार पर दिनांक 11.07.2012 को भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी खण्डार के द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2022 के द्वारा खारिज किये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में अपीलान्टस के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2022 रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जबकि ग्राम बालेर का विवादित खसरा नंबर 127/785 जिसके नवीन खसरा नंबर 1052/127 है0 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी है, पर अपीलार्थी का अपने ससुर स्वर्गीय कल्याणमल महाजन के निधन के पश्चात से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस आधार पर अंपीलान्ट ने दिनांक 11.07.2012 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपरोक्त भूमि का नियमन

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किये जाने बाबत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का व तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से तहसीलदार खण्डार को निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कराने, अपीलान्ट के सद्भावी काश्तकार होने या नहीं होने, पूर्व धारित भूमि की सूचना आवेदक व उसका संबंध, परिवार में कुल सदस्य संख्या, नियमन हेतु कब से कब तक कब्जा होना चाहिए व खसरा परिवर्तनशील की नकल तथा आवेदक द्वारा नियमन की शर्तें पूरी की ज़ा रही हैं या नहीं ? उपरोक्त शर्तें पूरी की जाने की स्थिति में पत्रावली नियमन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु लिखा गया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा सभी शर्तों की पूर्ति हेतु आवश्यक दस्तावेजात तहसील कार्यालय खण्डार में उपलब्ध कराये जाने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.03.2012 व 30.07.2012 प्राप्त होने पर तहसीलदार खण्डार द्वारा उपखण्ड अधिकारी खण्डार को पत्र कमांक 403 दिनांक 16.08.2012 भिजवाया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी खण्डार के द्वारा दिनांक 12.02.2014 को पत्रावली वरवक्त आवंटन/नियमन समिति के समक्ष रखे जाने के आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी की ओर से दिनांक 12.02.2014 से लेकर दिनांक 22.06.2022 तक उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के पति द्वारा दौराने नौकरी रैस्पोडेन्ट नंबर 1 के मौखिक आदेश मानने से मना करने पर उक्त पत्रावली को दिनांक 22.06.2022 को रिकार्ड पर लेकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2022 के द्वारा अपीलान्ट के नियमन संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी की ओर से वर्ष 2014 से 2022 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 22.06.2022 को उक्त पत्रावली में आनन–फानन में कार्यवाही करते हुये विद्वेष की भावना से अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2022 को जारी किया गया है। उक्त आदेश में अपीलार्थी के खाते में 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि होने के आधार पर भूमिहीन काश्तकार नहीं मानने में कानूनी भूल की है, क्योंकि उक्त भूमि अपीलान्ट के ससुर कल्याण मल के समय से ही चली आ रही है। जिसमें अपीलान्ट के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का भी हिस्सा है, परन्तु अपीलाधीन आदेश में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है। जिसकी पुष्टि में विभिन्न वर्षों की खसरा परिवर्तनशील की प्रति भी अदालत मातहत में पेश की गई थी। इसके बाबजूद उपरोक्त दस्तावेजों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेख किया जाना कि अपीलान्ट का पति व अपीलान्ट सरकारी कार्मिक है, गलत है, क्योंकि अपीलान्ट का पति राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुका है तथा अपीलान्ट सरकारी कार्मिक नहीं होकर मानदेय के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को राज्य कर्मचारी नहीं मानकर मानदेय सेवाकर्मी माना गया

10.9.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। अपीलान्ट का पद पूर्णतः अस्थायी एवं स्वैच्छिक भावना से कार्य करने वाला है। आगंनवाड़ी कार्यकता पर राज्य सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर वर्षों से काश्त की जा रही है तथा अपीलान्ट एक सदभावी काश्तकार है, परन्तु उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय विकास अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त हुई रिपोर्ट को आधार मानकर उपरोक्त आदेश पारित किया गया है। जबकि भूमि के नियमन के संबंध में पटवारी व तहसीलदार द्वारा पूर्व में ही उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। भूमि के नियमन के मामले में विकास अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी से रिकार्ड मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं था। उपरोक्त समस्त कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी द्वारा मात्र 5 दिन में की गई है। उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2022 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूमि खसरा नंबर 127/785 जिसका नवीन खसरा नंबर 1052/127 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी ग्राम बालेर के संबंध में उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2022 को निरस्त कर उक्त भूमि को अपीलान्ट के हक में नियमन किये जाने का आदेश जारी किये जावें।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के पति बाबूलाल विजय की ओर से नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां को दिनांक 08.08.2011 को खसरा नंबर 127/285 रकबा 2 बीघा ग्राम बालेर पर पूर्वजों के समय से कब्जा होने के कारण उनकी पत्नी मनोकामना के पक्ष में नियमन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा जिला कलक्टर खण्डार को पत्र दिनांक 22.05.2012 के द्वारा प्रकरण भिजवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार खण्डार को विस्तृत रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां से प्राप्त हुये पत्र दिनांक 13.08.2012 के क्रम में तहसीलदार खण्डार की ओर से उपखण्ड अधिकारी खण्डार को पत्र दिनांक 16.08.2012 को भिजवाया गया। जिसमें आक्षेप पूर्ति कर मूल पत्रावली भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त पत्रावली प्राप्त होने व अपीलान्ट की ओर से दिनांक 24.12.2013 को नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा दिनांक 12.02.2014 को नियमानुसार वरवक्त आवंटन/नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके बाद अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी खण्डार के कार्यालय में लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी नियमन संबंधी पत्रावली के संबंध में नियमन संबंधी आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदया को भी

10.9.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 26.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 26.05.2020, 30.03.2021, 06.10.2021, 05.02.2022, 25.04.2022, 09.05.2022 को भी उपखण्ड अधिकारी खण्डार के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र/परिवाद की प्रति मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलक्टर व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को भी प्रेषित की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वस्तुस्थिति संबंधी रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से उपखण्ड अधिकारी खण्डार को पत्र दिनांक 13.06.2022 लिखा गया। उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा तहसीलदार खण्डार बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्डार व विकास अधिकारी खण्डार को पत्र दिनांक 22.06.2022 भिजवाया गया। जिसके संबंध में तहसीलदार खण्डार की ओर से पत्र दिनांक 23.06.2022 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि परिवादिया के पति बाबूलाल विजय पंचायत समिति खण्डार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। परिवादिया ग्राम बालेर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। परिवादिया व पति के परिवार की एक ही इकाई है। परिवादिया का पति सरकारी कर्मचारी है, जो भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विवादित भूमि का परिवादी के पक्ष में नियमन किया जाना उचित नहीं बताया गया। विकास अधिकारी की ओर से भी पत्र दिनांक 24.06.2022 प्राप्त हुआ। जिसमें श्री बाबूलाल विजय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अपीलान्ट मनोकमाना विजय के ग्राम पंचायत बालेर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत होने के संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्डार के द्वारा पत्र दिनांक 23.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया। उपखण्ड अधिकारी खण्डार के द्वारा उक्त पत्र प्राप्त होने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन पत्र दिनांक 27.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्वयं के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने, पति के पंचायत समिति खण्डार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होने व पति के नाम ग्राम बालेर में पूर्व में ही 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड होने, परिवार की एक ही इकाई होने के नाते भूमिहीन कृषक, भूमिहीन परिवार तथा सद्भावी कृषक की श्रेणी में नहीं आने के कारण नियमानुसार भूमि आवंटित/नियमित नहीं की जा सकती है। इस आधार पर नियमन संबंधी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से जारी उपरोक्त पत्र दिनांक 27.06.2022 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट के पति के राजकीय सेवा में कार्यरत होने की पुष्टि विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार से प्राप्त पत्र से भलीभांति हो रही है। इसके अलावा अपीलान्ट के पति खाते में 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज होने की पुष्टि भी तहसीलदार खण्डार की ओर से प्राप्त हुई रिपोर्ट दिनांक 23.06.2022 से भलीभांति हो रही है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 2 के उपनियम ।।। ख जिसमें कि भूमिहीन कृषक की परिभाषा दी गई है, इसके परन्तुक में सरकार या

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किसी वाणिज्यिक का अथवा औद्योगिक संस्थान या समुत्थान का कोई कर्मचारी उसकी पत्नी तथा उस पर आश्रित उसके बच्चे, किन्तु कोई आकस्मिक या कार्यप्रभारित श्रमिक इस प्रयोजन के लिये कर्मचारी नहीं माना जायेगा। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के पति बाबूलाल विजय पंचायत समिति खण्डार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट व उनके पति एक इकाई है तथा अपीलान्ट के पति के नाम पूर्व से 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध है। इसलिये उपरोक्त नियम के तहत भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा समस्त कार्यवाही 5 दिन में विद्वेष की भावना से की गई है तो उक्त तर्क इसलिये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूमि के नियमन हेतु वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक लगातार उपखण्ड अधिकारी खण्डार व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। वर्ष 2018, 2020 व 2022 में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रार्थना पत्र दिये गये हैं। दिनांक 25.04.2022 को जो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी खण्डार को दिया गया है। उसकी प्रति मुख्यमंत्री महोदय के साथ–साथ जिला कलक्टर सवाई माधोपुर व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को भी प्रेषित की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय से उपखण्ड अधिकारी खण्डार से पत्र दिनांक 13.06.2022 के द्वारा वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर प्रकरण में तहसीलदार खण्डार, बाल विकास परियोजना अधिकारी खण्डार व विकास अधिकारी से रिपोर्ट चाही गई है। उक्त अधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन पत्र क्रमांक 841 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा अपीलान्ट को यह अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट के स्वयं के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने, पति पंचायत समिति खण्डार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होने व पति के नाम ग्राम बालेर में पूर्व से ही 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि होने तथा परिवार की एक इकाई होने के कारण भूमिहीन कृषक व सद्भावी कृषक की श्रेणी में नहीं होने के कारण भूमि आवंटित/नियमित नहीं की जा सकती है। वकील अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में व बहस के दौरान यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट के पति सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परन्तु इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी ओर अपीलाधीन पत्र संबंधी पत्रावली में विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी खण्डार को लिखा गया पत्र क्रमांक 439 दिनांक 24.06.2022 की प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार श्री बाबूलाल विजय पत्र जारी करने की दिनांक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इसी प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर कब्जा होने के संबंध में विभिन्न वर्षों की खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां उपखण्ड अधिकारी कार्यालय व जिला कलक्टर कार्यालय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

10.5.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में समय–समय पर प्रस्तुत की जाती रही हैं। इसलिये यह उल्लेख किया जाना कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया, मानने योग्य नहीं है। इसके अलावा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भूमि नियमन किये जाने हेतु आवेदित भूमि पर लगातार कब्जा होना, भूमिहीन कृषक होना व सद्भावी काश्तकार होना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी खण्डार ने अपने पत्र दिनांक 27.06.2022 में विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया है, वरन् अपीलान्ट के आंगनवाड़ी में कार्यकता होने व उसके पति के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर आवंटन/नियमन संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो कि उचित प्रतीत होता है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं सवाई माधोपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई सूचना के अनुसार आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका पूर्णतः अस्थायी है एवं स्वेच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाले मानदेय कर्मी हैं। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होते हैं, परन्तु उपखण्ड अधिकारी खण्डार के कार्यालय में दिनांक 08.08.2011 को विवादित भूमि के नियमन किये जाने के संबंध में अपीलान्ट के पति बाबूलाल विजय की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से प्रार्थी का कब्जा है, किन्तु उक्त भूमि प्रार्थी की धर्मपत्नि मनोकामना विजय के नाम पैनल्टी जारी कर दी गई। जिसे लगातार वे जमा करा रहे हैं। इस आधार पर उक्त भूमि का नियमन उनकी पत्नि मनोकामना विजय के नाम से किया जावे। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिस पर अपीलान्ट के पति स्वयं का कब्जा होना बता रहे हैं। खसरा परिवर्तनशील में की गई प्रविष्टि के आधार पर पत्नि के नाम नियमन कराने हेतु आवेदन किया गया है। आवंटन नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी उसकी पत्नि व उसके आश्रित बच्चों को भूमिहीन कृषक नहीं माना गया है। इस आधार पर भी अपीलान्ट विवादित भूमि का नियमन कराने के हकदार नहीं हैं। इसलिये उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से अपीलान्ट को जारी किये गये पत्र दिनांक 27.06.2022 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से जारी पत्र दिनांक 27.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर